क्रॉनिकल

इयर बुक 2023

भारत संदर्भ कोश

विगत 29 वर्षों से प्रतियोगियों व सामान्य जागरूक पाठकों की संग्रहणीय पुस्तक

सामयिक मुद्दे एवं विषय-वस्तु आधारित नवीनतम घटनाक्रम, तथ्य व आंकड़े, सरकारी पहल, संवैधानिक प्रावधान तथा न्यायिक निर्णय पर अध्ययन सामग्री केंद्रीय बजट 2023-24 तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के परीक्षोपयोगी बिंदुओं के साथ

- सामाजिक विकास
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- भारतीय राजव्यवस्था
- अंतरराष्ट्रीय व द्विपक्षीय संबंध
- भारत के पड़ोसी देश
- आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- कला एवं संस्कृति

- नीति
- योजनाएं
- कार्यक्रम
- रिपोर्ट
- समिति
- सूचकांक
- न्यायिक निर्णय
- ट्रिब्यूनल निर्णय
- संवैधानिक प्रावधान
- अधिनियम
- कानून
- संशोधन
- संस्था
- संगठन
- आयोग

क्रॉनिकल इयर बुक 2023

भारत संदर्भ कोश

विगत 29 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं व सामान्य जागरूक पाठकों की संग्रहणीय पुस्तक

संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ 95 विषय-वस्तुओं पर आधारित सामयिक मुद्दे, नवीनतम तथ्य एवं आंकड़े, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय तथा महत्वपूर्ण शब्दावलियां

संपादक
एन. एन. ओझा

प्रबंध संपादक
अमरेन्द्र कुमार

अध्यक्ष
संजीव नन्दक्योलियार

उपाध्यक्ष
कीर्ति नंदिता

लेखन सहयोग
रूपक कुमार, संयोग कुमार, अजीत शंकर

संकल्पना एवं प्रस्तुति
क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

पुस्तक के संबंध में

यह पुस्तक सामयिक व परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण विषयों की संकल्पनात्मक व तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसके अंतर्गत ऐसे विषयों को समाहित किया गया है, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है और आगे आने वाले समय में भी बनी रहेगी।

पुस्तक में वर्ष 2022 के अतिमहत्वपूर्ण सामयिक मुद्दों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं, निबंध प्रश्न-पत्र एवं साक्षात्कार के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

पुस्तक की लेखन शैली वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर लिखी गयी है। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में न सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी होना आवश्यक है, बल्कि विषयों का संकल्पनात्मक ज्ञान होना भी अति महत्वपूर्ण है। अत: छात्र इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गए विषयों का अध्ययन कर अपनी उत्तर लेखन शैली को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं।

प्राय: संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत 18 माह के नवीनतम घटनाक्रम, नीति, योजना, कार्यक्रम, रिपोर्ट, सूचकांक, संस्था, संगठन, आयोग, अधिनियम, कानून, संशोधन, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, संवैधानिक प्रावधान से संबंधित तथ्यों व सामग्री से नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं।

पुस्तक में इन सभी विषयों को अध्यायवार जैसे सामाजिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय व द्विपक्षीय संबंध, भारत के पड़ोसी देश, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, कला एवं संस्कृति, आदि में प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ 95 विषय-वस्तुओं पर आधारित सामयिक मुद्दे भी प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्यत: बाजार में इस प्रकार की सामग्री किसी भी पुस्तक में एक साथ इतने विषयों के साथ उपलब्ध नहीं है।

आशा है कि इन सभी विशिष्टताओं एवं अद्यतन जानकारियों से युक्त **क्रॉनिकल इयर बुक 2023 भारत संदर्भ कोश** न सिर्फ आपको पसंद आएगी, बल्कि अति उपयोगी भी सिद्ध होगी।

संपादक

विषय – सूची

सामाजिक विकास 1-54

सामयिक मुद्दे 2-10

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
- महिला श्रम बल भागीदारी
- वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण
- स्मार्ट-फूड के रूप में बाजरा (मिलेट)
- प्रतिभा पलायन
- भारत में मलिन बस्तियां
- मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की आवश्यकता
- भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग'
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा
- पोषण सुरक्षा की भारत की चुनौतियां
- जातिगत जनगणना का विमर्श
- भारत में यौन अल्पसंख्यक: स्थिति और चुनौतियां
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य: एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती
- सामाजिक पूंजी के विकास की संभावनाएं
- विवाह की न्यूनतम आयु और महिला सशक्तिकरण

महिला विकास 11-14

- महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान (समर्थ)
- 'WEST'(इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिलाएओं) पहल
- महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022
- सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट 2022
- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना
- स्त्री मनोरक्षा परियोजना
- जया जेटली समिति
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (स्टेप)
- पाम राजपूत समिति
- अवैध व्यापार से निपटने के लिए उज्ज्वला स्कीम
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
- बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
- महिला विकास से संबंधित अनुच्छेद
- भेदभाव उन्मूलन पर यूएन 'संधि'
- दत्तात्रेय बनाम स्टेट
- मुसमा चौकी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

बाल विकास व संरक्षण 15-16

- ई-बाल निदान पोर्टल
- मेघ चक्र ऑपरेशन
- सड़क पर रहने वाले बच्चे (CISS) के लिए एप्लिकेशन
- चाइल्ड ऑनलाइन सुरक्षा टूलकिट
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.)
- गुरुपदस्वामी समिति, 1979
- बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- बल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016
- किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015
- यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट)
- प्रमुख तथ्य
- संवैधानिक प्रावधान
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989
- जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य
- अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य
- शाहनवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

ट्रांसजेंडर 17-18

- 'इन्क्लूजन ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वीर (LGBTIQ+) पर्सन्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क' रिपोर्ट
- इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेसेस ड्राफ्ट
- गरिमा गृह
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016
- संवैधानिक सुरक्षा
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति से संबंधित अन्य परिभाषा

वरिष्ठ नागरिक 19-20

- 'ब्रिज द गैप: अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड्स' रिपोर्ट 2022
- वयो नमन कार्यक्रम
- सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल
- रजत अर्थव्यवस्था
- देखभाल अर्थव्यवस्था
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

- राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (आईपीओपी), 1999
- राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
- संवैधानिक सुरक्षा
- के. राजू बनाम भारत संघ और अन्य

दिव्यांगजन..... 21-23

- पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, 2022
- राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति का प्रारूप
- ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज रिपोर्ट
- समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम
- सुगम्य भारत ऐप
- समर्थ (राहत रेस्पाइट देखभाल योजना)
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006
- राष्ट्रीय न्यास
- दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी)
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- संवैधानिक सुरक्षा
- मनीष शर्मा बनाम उपराज्यपाल और अन्य 2019
- अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार

अनुसूचित जाति व जनजाति..... 24-26

- 14 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
- जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में पहाड़ी जनजाति शामिल
- पदोन्नति में आरक्षण
- आदिवासी विकास रिपोर्ट 2022
- श्रेष्ठ योजना
- ग्रामीण उद्यमी परियोजना
- गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
- 85वाँ संविधान संशोधान अधिनियम, 2001
- 81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम या पेसा अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- संवैधानिक सुरक्षा
- जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद (2018)
- सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018
- एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006)
- उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले 1992

अल्पसंख्यक वर्ग..... 27-29

- गैर-पारंपरिक आजीविका में कौशल पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन
- हज यात्रा 2022
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)
- बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति 2020
- गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र
- पढ़ो परदेश
- नई रोशनी
- नई मंजिल
- उस्ताद
- सीखो और कमाओ
- अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- सच्चर समिति
- राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
- डॉ. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995
- संवैधानिक सुरक्षा
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनियमन
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 2002

पिछड़ा वर्ग..... 30-31

- 103वें संविधान संशोधन की वैधता
- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
- ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता
- ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफ)
- राम नंदन समिति
- मंडल आयोग
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)
- संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021
- संविधान संशोधन (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993
- इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992)
- जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद
- चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य वाद (1951)

गरीबी..... 32-34

- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022
- गरीब कल्याण रोजगार अभियान
- अन्नपूर्णा रसोई योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- रंगराजन समिति (2012)
- दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- तेन्दुलकर समिति (2005)
- टास्क फोर्स का गठन
- सुमित्रा बोस समिति
- लकड़ावाला विशेषज्ञ दल (1989)
- दांडेकर और रथ (1971)
- अध्ययन दल का गठन (1962)
- पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ

शिक्षा 35-41

- स्कूली शिक्षा पर रिपोर्ट
- स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021
- पढ़े भारत अभियान
- प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0
- डिजिटल विश्वविद्यालय
- आधारभूत शिक्षण अध्ययन 2022
- युवा 2.0 योजना
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
- राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना
- राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला
- निपुण भारत कार्यक्रम, मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमता मिशन
- पीएमई विद्या
- नई शिक्षा नीति 2020
- निष्ठा कार्यक्रम
- शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 2019
- समग्र शिक्षा कार्यक्रम
- शिक्षा में मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई (साथ) परियोजना
- डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति 2017
- जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति 2012
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
- भारत सरकार का उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
- शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण संबंधी समिति (1993)
- डॉ. यशपाल समिति (1992)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
- कोठारी आयोग (1964-66)
- मुदालियर आयोग (1952-53)
- राधाकृष्णन आयोग (1948-49)
- यूनेस्को
- वैश्विक अधिगम लक्ष्य का शुभारंभ
- रिस्किलिंग रेवलुशन इनिशिएटिव
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009
- 86वें संवैधानिक संशोधन
- संवैधानिक सुरक्षा
- उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1993

बेरोजगारी 42-43

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
- महिला कार्यबल में बढ़ोतरी
- वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट (WESO Trends) 2022
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
- ई-श्रम पोर्टल
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना
- स्टार्ट-अप इंडिया
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- मुद्रा योजना
- मेक इन इंडिया
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना
- हिमायत योजना
- भगवती कमेटी (1973)
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
- कर्मकार बनाम रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी 1992

स्वास्थ्य 44-47

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5)
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट
- विजन 2035: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी
- जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली
- निरामय परियोजना
- गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम)
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- मिशन इंद्रधनुष
- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)
- भोरे समिति (1946)
- भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
- चिकित्सा उपकरण (सुरक्षा, कारगता और नवाचार) विधेयक 2020

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994
- संवैधानिक सुरक्षा (संवैधनिक प्रावधान)
- अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ 2019
- गंटा जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य
- पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला 1997
- पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले (1996)

पोषण व खाद्य सुरक्षा.....48-51

- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22
- सूचकांक से सम्बंधित प्रमुख तथ्य
- वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2022
- वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2022
- पोषण अभियान प्रगति रिपोर्ट
- हंगर हॉट्स्पॉटस रिपोर्ट
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022
- फोर्टिफाइड चावल के लिए विनिर्देशों की घोषणा
- न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम
- पोषण अभियान
- अनीमिया मुफ्त भारत (AMB) योजना
- राष्ट्रीय पोषण मिशन
- जीरो हंगर कार्यक्रम
- पोषण वाटिकाएं
- ग्लोबल नेटवर्क अगैंस्ट फूड क्राइसिस
- पोषण स्मार्ट विलेज
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- किशोरी शक्ति योजना
- राष्ट्रीय सप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007
- जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्ड योजना
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)
- मध्याह्न भोजन योजना
- समन्वित बाल विकास योजना
- अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI)
- अन्तरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह
- खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- संवैधानिक सुरक्षा (संवैधानिक प्रावधान)
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
- चमेली सिंह बनाम यू.पी. (1996)

संचारी एवं गैर-संचारी रोग.....52-54

- ओमीश्योर (Omisure)
- नियो कोव (NEO COV)
- लासा बुखार (LASSA FEVER)
- फेयरबैंक रोग (FEIRBANK'S DISEASE)
- अफ्रीका का पहला मलेरिया टीका
- पेन प्लस स्ट्रेटेजी
- इंडिया टी.बी. (क्षय रोग) रिपोर्ट 2022
- दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति 2021
- राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-2025
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- मास्को घोषणा-पत्र 2017
- WHO की क्षय रोग उन्मूलन रणनीति

भारतीय अर्थव्यवस्था 55-115

सामयिक मुद्दे.....56-64

- भारत में रेल भाड़ा संबंधी चुनौतियां
- भारत में पर्यटन उद्योग: महत्व और चुनौतियां
- भारत में तकनीकी वस्त्र की क्षमता
- प्राकृतिक खेती: चुनौतियां और लाभ
- राष्ट्रीय रसद अवसंरचना चुनौतियां
- अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण
- वित्तीय समावेशन: भारत में चुनौतियां
- भारत की तेल आयात निर्भरता
- भारत के खनन क्षेत्र की चुनौतियां
- सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था)
- सहकारी उद्यमिता
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): मुद्दे और चुनौतियां
- भारत में कौशल विकास की चुनौतियां
- वैश्विक खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला: भारत का अवसर
- द्विपक्षीय निवेश संधि

कृषि विकास.....65-67

- कृषि निवेश पोर्टल
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की मंजूरी
- 11वीं कृषि संगणना
- रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल
- लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज छूट की मंजूरी
- कृषि उड़ान 2.0 योजना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- कृषि निर्यात नीति (एईपी)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- दलवाई समिति
- कृषि-वानिकी पर उप-मिशन योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
- MSP, प्राकृतिक कृषि और फसल विविधीकरण के लिए समिति का गठन
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
- भारतीय खाद्य निगम
- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई)
- कृषि से सम्बंधित प्रमुख बॉक्स

खाद्यान्न फसल 68-69

- द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022
- अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) 2023
- मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज पहल
- ग्रैंड चैलेंज
- एशियन पाम ऑयल एलायंस
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम (NMEO-OP)

वाणिज्यिक फसल 70-71

- सांद्रित पोस्ता स्ट्रों
- उत्तर भारत में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि
- जूट का उत्पादन
- जायफल, केसर और मिर्च के लिए गुणवत्ता मानदंडों
- बैंगनी क्रांति या लैवेंडर क्रांति
- केसर का कटोरा परियोजना
- कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन
- कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (CCSCH)
- अरोमा मिशन

उर्वरक 71-72

- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PM-KSK)
- एक राष्ट्र एक उर्वरक
- भारत में उर्वरक सब्सिडी
- राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 का मसौदा 72
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या सम्मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022
- नई यूरिया नीति 2015

बागवानी 73-74

- 'प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म'
- राष्ट्रीय कृषि बाजार
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)
- पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)

पशुपालन एवं डेयरी 74-75

- पशु रोग मुक्त क्षेत्रों का निर्माण
- प्रथम पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2022
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन
- पशुपालन और डेयरी विभाग
- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

मत्स्य पालन 76-77

- प्राथमिक सहकारी समिति
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
- समर्पित मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना कोष
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
- तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण
- भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण

खाद्य प्रबंधन 77-78

- मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज पहल
- प्याज के भण्डारण पर ग्रैंड चैलेंज
- चावल का दृढ़ीकरण और उसका वितरण
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
- खुला बाजार विक्रय प्रणाली
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 78-79

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण'
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)

बैंकिंग 80-83

- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs)
- दक्ष (Daksh)
- भारतीय रिजर्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक
- 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019'
- बैंक बोर्ड ब्यूरो
- भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- आंतरिक लोकपाल योजना
- डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना
- नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम
- ई-रूपी
- स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (SEAC)
- जी.एन. वाजपेयी समिति
- दामोदरन समिति
- नाचिकेत मोर समिति
- सुदर्शन सेन समिति
- बिमल जालान समिति
- उर्जित पटेल समिति
- बैंकों का विलय और नरसिंहम समिति
- गोइपोरिया समिति

- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020

मुद्रा व्यवस्था 84-85

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
- रुपये का अंतरराष्ट्रीकरण
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973

ग्रामीण बैंकिग व्यवस्था 85-86

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्तीय संधारणीयता
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- नाबार्ड

प्रतिभूति बाजार 86-87

- ब्लू बॉण्ड्स (Blue Bonds)
- सारथी मोबाइल ऐप
- हाइब्रिड प्रतिभूतियां (Hybrid Securities)
- निवेशक चार्टर
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना
- सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021
- सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007

बीमा क्षेत्र 88-89

- बैंकएश्योरेंस
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
- सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- बीमा संशोधन विधेयक, 2021
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

मुद्रास्फीति..... 90-91

- खाद्य मुद्रास्फीति
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए राजकोषीय उपाय
- उर्जित पटेल समिति 2014
- मौद्रिक नीति समिति
- मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण

वित्त व्यवस्था..... 91-93

- राज्य वित्त को मजबूत करना
- एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड पहल
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो
- बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (IFSCA)
- विकास वित्तीय संस्थान
- वित्त आयोग
- राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून 2003
- केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 93

कर व्यवस्था..... 93-95

- नई आयकर व्यवस्था
- केंद्र सरकार द्वारा उपकर निधियों के हस्तांतरण में कमी
- वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की 48वीं बैठक
- ऑनरिंग द ऑनरेस्ट
- पारदर्शी कराधान: ईमानदार का सम्मान
- जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम
- वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' और 'केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड'
- कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021
- आयकर अधिनियम 1961

वित्तीय समावेशन..... 95-96

- ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
- दीपक मोहंती समिति
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- नाचिकेत मोर समिति
- रंगराजन समिति

पर्यटन..... 97-98

- भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022
- विश्व पर्यटन दिवस
- धर्मशाला घोषणा-पत्र
- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2015 का मसौदा
- ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना
- राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना
- अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रूल, 2021

विदेशी व्यापार..... 98-99

- चालू खाता घाटा
- भुगतान विजन 2025
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022
- मुक्त व्यापार समझौते (FTA)
- भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता
- विदेश व्यापार नीति
- तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
- प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

परिवहन...100-104

- ट्रांसपोर्ट-4 ऑल चैलेंज स्टेज-2
- भारत के परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण लक्ष्य
- भारत सीरीज (BH) नंबर
- पर्वतमाला
- विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल
- एल्युमीनियम से निर्मित रेल बोगियां
- एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटासेट 2021
- डिजीयात्रा
- डिजी यात्रा फाउंडेशन
- वाटर टैक्सी सेवा
- हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र
- लैंडलार्ड पोर्ट मॉडल
- भारतीय रेलवे नवाचार नीति
- कवच प्रणाली
- सागरतट समृद्धि योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- त्रि-नेत्र प्रणाली
- जल मेट्रो परियोजना
- माल डिब्बा पट्टा योजना (डब्ल्यूएलएस)
- परियोजना स्वर्ण
- सागरमाला युवा पेशेवर योजना
- भारतमाला परियोजना
- सागरमाला परियोजना
- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना
- राष्ट्रीय हरित नागरिक विमानन नीति
- ग्रीन एविएशन
- अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात पर अभिसमय 1949
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016
- अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021
- संवैधानिक प्रावधान

दूरसंचार...105-106

- ब्याज को इक्विटी में बदलने के लिए सरकारी प्रस्ताव का विकल्प
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018
- भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार नियम 2016 में संशोधन
- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)
- दूरसंचार आयोग
- भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का मसौदा

निवेश व अवसंरचना.................................106-108

- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल
- प्राभावोत्पादक निवेश
- स्टार्ट-अप्स पर नैसकॉम की रिपोर्ट
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)
- पी.एम. गति शक्ति
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)
- सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)
- अरविन्द मायाराम समिति
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन
- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक 2021

सड़क अवसंरचना.....................................108-109

- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- हब एंड स्पोक मॉडल

रेल अवसंरचना...109-109

- गतिशक्ति बहु-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)
- राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा
- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (एमएएचएसआर)
- सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनसेट को शामिल करना
- हाइपरलूप तकनीक का विकास

डिजिटल अवसंरचना.................................110-111

- टेली-घनत्व में क्षेत्रीय असमानता
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)
- स्कूल अवसंरचना
- प्रधानमंत्री-स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SRI)
- नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)
- नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा)
- उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

स्वास्थ्य अवसंरचना...................................111-112

- डॉक्टर-रोगी अनुपात
- क्रेमर एट अल द्वारा एक हालिया अध्ययन (2022)

उद्योग...112-115

- बिजनेस 20
- शर्करा विकास निधि नियम, 1983 की पुनर्संरचना के लिए दिशा-निर्देश
- पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्को
- रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफारमेंस
- भारत को विनिर्माण हब बनाना
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी समीक्षाओं (फेक रिव्युज) की जांच के लिए रूपरेखा
- मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP), 2022 का मसौदा
- कपड़ा पीएलआई योजना
- सेमीकंडक्टर मिशन के संचालन तथा मार्गदर्शन के लिए सलाहकार समिति
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना
- चिप्स टू स्टार्ट-अप कार्यक्रम
- समर्थ योजना

- डिजाइन लिंक्ड-इंसेंटिव (डीएलआई) योजना
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- भारत अर्द्धचालक मिशन
- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना
- इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- शून्य दोष प्रभाव (ZED) प्रमाणन योजना
- सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)
- MSME इनोवेटिव स्कीम
- भारतीय गुणवत्ता परिषद
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)
- स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- स्फूर्त्ति योजना
- प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022
- प्रतिस्पर्द्धा कानून समीक्षा समिति

भारतीय राजव्यवस्था 116-148

सामयिक मुद्दे 117-121

- एक राष्ट्र एक विधान
- प्रभावी लोकतंत्र और निर्वाचन सुधार
- भारत में न्यायपालिका सुधार: एक परिवर्तनकारी न्यायिक क्रांति
- राज्यों की बीच सीमा विवाद
- संसदीय विशेषाधिकार
- लद्दाख और छठी अनुसूची संबंधी मुद्दे
- प्रत्यायोजित विधान
- मूल अधिकार बनाम मूल कर्तव्य
- एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र

नागरिकता 122-123

- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट
- भारतीयों द्वारा नागरिकता का त्याग
- निवारक निरोध
- निवारक निरोध का प्रयोग
- कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका और निवारक निरोध

आरक्षण 124-125

- आर्थिक आरक्षण की संवैधानिक वैधता

धार्मिक अधिकार 126-127

- अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, 2022
- जबरन धर्मांतरण
- अनिवार्यता का सिद्धांत

जीवन का अधिकार 128-129

- 'टू-फिंगर टेस्ट'
- भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का अधिकार
- शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार
- भुला दिए जाने का अधिकार
- निजता का अधिकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 130-131

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A
- राजद्रोह (Sedition) के मामले
- केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022
- राजद्रोह से सम्बन्धित प्रमुख वाद

निदेशक सिद्धांत और कर्तव्य 132-132

- समान नागरिक संहिता के प्रवर्तन सम्बन्धी निजी विधेयक
- नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग
- मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य
- भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन
- भारतीय ध्वज संहिता 2002

सहकारी संघवाद 133-134

- नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक
- नीति आयोग की प्रमुख पहलें

केंद्र-राज्य संबंध 135-136

- असम-मेघालय सीमा विवाद
- महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद
- अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम

संसदीय व्यवस्था 137-138

- राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022
- असंसदीय शब्द
- संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन
- संसद में नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण
- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन परियोजना (NeVA)
- अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC)
- 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019

स्थानीय स्वशासन 139-140

- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- जन योजना अभियान-2022
- ट्रिपल टेस्ट फार्मूला

न्यायपालिका 141-142

- कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में विवाद
- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता
- वैधता के पक्ष
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक
- अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली

चुनाव सुधार.....144-146

- मतदान से संबंधित कैदियों के अधिकार
- इंटीग्रेटेड इलेक्शन कॉम्प्लेक्स
- एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट
- रिमोट वोटिंग सिस्टम
- चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021
- निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

सुशासन 146-148

- डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022
- जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आंकलन 2021
- राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क
- एलएसडीजी राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन
- ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन
- ए.डी. गोरेवाला समिति 1951
- संथानम समिति
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First ARC)
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second ARC)
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

अंतरराष्ट्रीय व द्विपक्षीय सम्बन्ध 149-180

सामयिक मुद्दे.....150-154

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार
- G20 और भारत के लिए अवसर
- सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र, अवसर और चुनौतियां
- पैराडिप्लोमैसी (स्थानिक कूटनीति) और भारत: अवसर व चुनौतियां
- भारत-यूएई संबंधों के लिए चुनौतियां
- 21वीं सदी में भारतीय आर्थिक कूटनीति
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध चुनौतियां
- ओपेक+ समूह का निर्णय और वैश्विक तेल उपलब्धता पर प्रभाव
- आतंकी वित्तपोषण, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय चुनौती

भारतीय विदेश नीति.....155-156

- भारत की विदेश नीति संवैधानिक आधार
- पंचशील
- गुट निरपेक्षता
- गुट निरपेक्ष आन्दोलन की उपलब्धि
- गुजराल सिद्धांत
- नेबरहुड फर्स्ट नीति

भारत की परमाणु नीति 156-157

- एनपीटी की पंचवर्षीय समीक्षा बैठक
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI), 2022
- परमाणु नीति 2003
- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)
- परमाणु अप्रसार संधि

भारत और प्रमुख क्षेत्रीय संगठन.....157-163

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2022
- एससीओ की स्थापना
- क्वॉड मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) साझेदारी
- 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- पैगंबर मुहम्मद पर टिपण्णी का मामला
- इस्लामिक सहयोग संगठन चार्टर
- कश्मीर कांटेक्ट ग्रुप
- इस्लामिक सहयोग संगठन कार्य और उद्देश्य
- इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत
- बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक
- 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन
- बिम्सटेक
- G20 लोगो
- भारत का G20 अध्यक्षता का विषय
- भारत G20 'ट्रोइका' में शामिल
- G20 का 18वां शिखर सम्मेलन
- जी 20 का 17वां शिखर सम्मलेन
- काला सागर अनाज पहल
- "लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर
- 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022
- पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर
- G-7 क्या है

भारत और क्षेत्रीय संबंध.....163-171

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का मध्य एशियाई देशों के साथ विशेष बैठक
- भारत-मध्य प्रथम एशिया शिखर सम्मेलन 2022
- दिल्ली घोषणा-पत्र
- कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी
- अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)
- चाबहार बंदरगाह परियोजना
- भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व
- हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता (IPRD-2022)
- हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा' (Indo-Pacific Economic Framework- IPEF)
- इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022
- सीएएनएसओ एशिया प्रशांत सम्मेलन-2022
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र
- भारत की नीति का विकास
- भारत के उपराष्ट्रपति कतर का दौरा
- भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज
- भारत और ओमान वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय सहयोग के कार्यक्रम

- सहयोग कार्यक्रम (POC)
- भारत बहरीन सम्बन्ध
- अश्गाबात समझौता
- खाड़ी सहयोग परिषद
- भारत हेतु फारस खाड़ी क्षेत्र का सामरिक महत्व
- दक्षिण एशियाई पहल
- साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी (SAGE)
- दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला
- दक्षिण एशिया की आर्थिक कूटनीति
- सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा
- 'हिंद महासागर क्षेत्र मंच' 2022
- हिन्द महासागर क्षेत्र
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
- 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन
- भारत-प्रशांत पर आसियान आउटलुक
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी
- दक्षिणी-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान)
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
- उत्तर-दक्षिण सहयोग

भारत का द्विपक्षीय सम्बन्ध.....171-180

- भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का विकास
- ऑस्ट्रेलियाज इंडियन डायस्पोरा: ए नेशनल एसेट रिपोर्ट
- सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल 2016
- ऑस्ट्रेलिया-भारत सामरिक अनुसंधान कोष
- भारत की फिलिस्तीन नीति
- इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष
- अर्द्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPF) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक
- चौथा भारत-यूएस '2+2' संवाद
- फ्रेंड शोरिंग रणनीति
- 'भारत-अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 'पार्टनरशिप'
- निसार (NISAR) प्रोजेक्ट
- भू-स्थानिक खुफिया (BECA) के लिये बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता 2020
- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA) 2018
- भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू वार्ता 2018
- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016
- ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच
- इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स
- जयशंकर की रूस यात्रा
- पहली भारत-रूस 2+2 वार्ता
- भारत रूस सम्बन्धों की 75वीं वर्षगांठ
- ईस्टर्न इकोनोमिक फोरम
- भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन
- चेन्नई-व्लादिवोस्टॉक समुद्री मार्ग
- शांति, मित्रता और सहयोग पर संधि
- रक्षा और सुरक्षा संबंध
- परमाणु संबंध
- अंतरिक्ष सहयोग
- ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री
- रोडमैप 2030 (Roadmap 2030)
- उन्नत व्यापार साझेदारी (ईटीपी)
- प्रवासन एवं आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी
- वैश्विक नवाचार साझेदारी
- भारत-यूनाइटेड किंगडम संवाद
- आरबीआई का मालदीव के साथ करेंसी स्वैप
- सहयोग के क्षेत्र
- ऑपरेशन कैक्टस
- 36वीं रणनीतिक वार्ता
- भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा
- दोनों देशों के सम्बन्धों के प्रमुख क्षेत्र
- भारतीय प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा
- हरित रणनीतिक साझेदारी
- दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मलेन
- 8वीं भारत-नॉर्वे समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक
- ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट
- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030

भारत के पड़ोसी देश 181-199

सामयिक मुद्दे.....182-182

- भारत-नेपाल संबंध
- भारत-श्रीलंका संबंध के लिए चुनौतियां

भारत-पाकिस्तान.....183-184

- सिन्धु जल समझौता के सम्बन्ध में पाकिस्तान को नोटिस
- स्थायी सिंधु आयोग की 117वीं बैठक
- स्थायी सिंधु आयोग
- भारत-पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान
- करतारपुर कॉरिडोर
- सिंधु जल संधि (IWT)
- भारत विरोधी नीति
- अन्य पारंपरिक मुद्दे
- भारत-पाकिस्तान के मध्य प्रमुख परियोजना

भारत-अफगानिस्तान 184-185

- अगानिस्तान सरकार द्वारा भारत को निवेश के लिए आमंत्रण
- अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण
- दोहा समझौता (वर्ष 2020)
- फ्रेंड लाइन्स समझौता

भारत-चीन 186-189

- तवांग सीमा विवाद
- गलवान सीमा विवाद
- डोकलाम विवाद
- भारत और चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक
- भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि
- भारत-चीन विवाद
- भारत और चीन के बीच आपसी सहयोग
- भारत में समर्थित वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाएं
- भारत-एशिया इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
- भारत-चीन के मध्य अनौपचारिक शिखर सम्मेलन
- पारंपरिक मुद्दे

भारत-नेपाल 189-190

- पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' नेपाल के नए प्रधानमंत्री
- नेपाल बनेगा भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश
- भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा
- संबंधों का विकास
- विवाद के मुख्य बिन्दु

भारत-भूटान 191-193

- BBIN मोटर वाहन समझौता
- भारत-भूटान के मध्य व्यापारिक समझौता
- 1949 की भारत-भूटान संधि
- सामरिक मुद्दा
- राजनीतिक मुद्दा
- भारत-भूटान: द्विपक्षीय व्यापार
- भूटान पर चीन की निगाह
- भूटान का भारत के लिए महत्व

भारत-बांग्लादेश 193-195

- बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
- कुशियारा नदी पर भारत-बांग्लादेश के मध्य समझौता
- भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना
- मिताली एक्सप्रेस
- सामरिक मुद्दा
- अंत:क्षेत्रों का विवाद
- नदी जल विवाद
- राजनीतिक मुद्दा
- बांग्लादेश से अवैध प्रवास
- चकमा शरणार्थियों की समस्या
- नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित चिंताएं
- आर्थिक मुद्दा

भारत-म्यांमार 196-198

- म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- यात्रा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष
- भारत के लिए म्यांमार का महत्व
- भारत-म्यांमार विवाद के मुख्य कारण
- रक्षा सहयोग
- आपदा राहत
- सांस्कृतिक सहयोग
- विकास सहयोग
- वाणिज्यिक सहयोग
- लोगों के मध्य परस्पर संपर्क
- मुक्त आवागमन व्यवस्था
- सामरिक मुद्दे
- आर्थिक मुद्दे
- राजनीतिक मुद्दे

भारत-श्रीलंका 199-199

- भारत-श्रीलंका आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता
- भारत द्वारा श्रीलंका हेतु पर्याप्त वित्तपोषण आश्वासन
- श्रीलंका संकट
- श्रीलंका का सॉवरेन ऋण संकट
- भारत-श्रीलंका मत्स्यन विवाद
- कच्छदीव द्वीप
- जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट

आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा 200-219

सामयिक मुद्दे 201-203

- भीड़ प्रबंधन
- सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका
- थिएटर कमान
- रक्षा आधुनिकीकरण
- रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण
- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
- लोन वुल्फ आतंकवाद

आंतरिक सुरक्षा 204-205

- जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समूह
- अपराध और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क प्रणाली
- ओवरग्राउंड वर्कर्स
- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना
- एकीकृत थिएटर कमांड्स
- रोशनी परियोजना
- इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी)
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980
- सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978

आतंकवाद 206-207

- काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन
- हाइब्रिड आतंकवादी

- दिल्ली घोषणा पत्र
- राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था (NIA)
- आतंकवाद रोधी समिति (CTC)
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
- गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019
- आतंकवादी गतिविधि रोकथाम कानून 2002
- आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून
- गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967

साइबर सुरक्षा.....207-211

- ब्लूबगिंग
- अभ्यास सिनर्जी
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास
- इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव
- साइबर सुरक्षा पर नए दिशा-निर्देश
- कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) वर्चुअल वर्कशॉप
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- बहु-विषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC)
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- साइबर सुरक्षित भारत योजना
- श्रीकृष्ण समिति
- साइबर सुरक्षित भारत पहल
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019
- सूचना तकनीक अधिनियम, 2000
- पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- आईटी एक्ट की धारा 66ए

भारतीय सीमाएं एवं सीमा प्रबंधन.....211-213

- भारत-नागा युद्ध विराम समझौता
- निदान/ NIDAAN पोर्टल
- ऑपरेशन सर्द हवा
- सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका
- जीवंत ग्राम कार्यक्रम
- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)
- सीमावर्ती सड़क संगठन (BRO)
- नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1998)

भारत की समुद्री सुरक्षा.....215-216

- सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन
- स्प्रिंट चैलेंजेज
- ऑपरेशन संकल्प
- वर्टिकल लॉन्च मिसाइल
- INS विक्रांत
- तटीय सुरक्षा योजना
- संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय

मनी लॉन्ड्रिंग.....217-217

- उच्चतम न्यायालय द्वारा धान शोधन निवारण अधिनियम में किए गए संशोधनों को सही ठहराना
- उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति
- प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ वाद

अंतरिक्ष सुरक्षा.....218-219

- मिशन डेफस्पेस
- हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर
- बेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल
- टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल
- स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन
- पिनाका मिसाइल प्रणाली
- हेलिना
- परिवहन विमान (C-295 Transport Aircraft)
- तेजस मार्क-2 (Tejas Mark-2)
- भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
- विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट (डेकू)
- अंतरिक्ष विभाग
- रोहिणी परिज्ञापी (साउंडिंग) रॉकेट
- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 220-241

सामयिक मुद्दे.....221-227

- फ्यूजन एनर्जी ब्रेकथ्रू
- अंतरिक्ष संधारणीयता
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न नैतिक चुनौतियां
- ब्लॉकचेन तकनीक
- भारत में दुर्लभ मृदा तत्व: सामरिक महत्व एवं उत्पादन
- निजी क्षेत्र और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग
- भारत में न्यूमोकोकल रोग
- महामारी नियंत्रण एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार
- नाभिकीय ऊर्जा: भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का आधार
- उभरती प्रौद्योगिकी: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती या समाधान
- सिंथेटिक बायोलॉजी: अनुप्रयोग एवं चुनौतियां
- भारत की समुद्री शैवाल क्षमता
- शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- भारत अंतरिक्ष उद्योग: चुनौतियां और अवसर
- वेस्ट टू वेल्थ

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 228-232

- सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज
- इसरो द्वारा 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण
- 'विक्रम-एस' : भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान
- इसरो की हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली
- इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर
- इसरो कौस्ट-D1/EOS-02 मिशन
- सैजिटेरीअस ए
- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह : ईओएस-04
- स्पेस फॉर विमेन
- प्रोजेक्ट नेत्र
- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति
- लूसी मिशन
- सनराइज मिशन
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति
- पार्कर सोलर प्रोब
- रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRA)
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
- भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना
- अंतरिक्ष विज्ञान इनक्यूबेशन सेंटर
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

सूचना प्रौद्योगिकी 232-234

- भारत में 5G सेवाएं प्रारंभ
- टेक्नोलॉजी विजन 2035
- AI उत्कृष्टता केंद्र
- भारत का माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013
- जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण समिति
- आईटी नियम, 2021 में संशोधन
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- आईटी एक्ट की धारा 66A
- निजता का मुद्दा और भारत के निगरानी कानून

रक्षा प्रौद्योगिकी.....234-236

- अग्नि-3 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल
- हल्का लड़ाकू हेलीकाप्टर 'प्रचंड'
- स्टेल्थ फ्रीगेट 'तारागिरि'
- एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित पांच मिसाइलें
- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना
- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल
- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
- शेकतकर समिति
- ड्रोन नीति का मसौदा, 2021

जैव प्रौद्योगिकी 237-239

- CAR-T प्रौद्योगिकी
- डी.एन.ए. तकनीकी पर स्थाई समिति की रिपोर्ट
- मानव जीनोम एडिटिंग: डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट
- दुर्लभ आनुवंशिक रोग : सेरेब्रोटेंडिनस जैंथोमैटोसिस
- जैव-आणविक तंत्र
- स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश
- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति
- राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास नीति
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

समुद्र विज्ञान.....239-241

- डीप ओशन मिशन प्रारंभ
- डीप-सी माइनिंग सिस्टम
- समुद्रयान मिशन
- ओ स्मार्ट योजना
- भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र
- अंतरराष्ट्रीय परिचालनात्मक समुद्री विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र
- सुनामी रेडी

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 242-277

सामयिक मुद्दे 243-251

- स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार
- वन अधिकार और वन संरक्षण के बीच संघर्ष
- वाहन स्क्रैपिंग नीति
- भूमि अवतलन (भूस्खलन)
- कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज
- हिमालय पारिस्थिकी तंत्र
- जियो इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग
- भारत में जलवायु वित्त तंत्र
- पर्यावरण प्रभाव आंकलन
- महासागरीय अम्लीकरण
- परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण
- भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र
- अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण
- मीथेन उत्सर्जन
- भारत के शहरी बेघरों का मुद्दा
- भारत की भूमि क्षरण की समस्या
- स्वदेशी बीजों के संरक्षण का मुद्दा
- भारत के पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण
- सतत शहरीकरण की भारत की चुनौतियां
- पुनर्योजी कृषि की आवश्यकता

जलवायु परिवर्तन.....251-254

- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई, 2023)
- कोप-27
- जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022

- भारत की आर्कटिक नीति
- राष्ट्रीय सतत हिमालय पारितंत्र मिशन
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
- किगाली संशोधन
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन
- टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारतीय संघ

प्रदूषण.....254-258

- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट - 2022
- माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण
- एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, 2022
- प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट
- दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022
- वायु प्रदूषण नीति
- वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- केंद्रीय निगरानी समिति
- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयास
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन
- वैश्विक वायु प्रदूषण मानक दिशा-निर्देश
- ध्वनि प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

सतत विकास.....258-260

- थर्मल पावर प्लांट के लिए मानदंडों का विस्तार
- ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप
- सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022
- वैश्विक सतत् विकास रिपोर्ट, 2022
- जलवायु संकेतक और सतत् विकास पर रिपोर्ट
- एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21
- SuM4All पहल
- ब्लू फ्लैग
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)
- दीर्घोपयोगी विकास आयोग (CSD)
- वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ
- तरुण भगत सिंह बनाम संघ
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ

आपदा प्रबंधन.....261-263

- आर्कटिक महासागर में रासायनिक परिवर्तन
- भारत का जलवायु जोखिम एवं भेद्यता एटलस
- पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने पर WMO की पहल
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016
- कोलिसन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)
- मौसम आपदाओं पर रिपोर्ट
- द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट
- बांध सुरक्षा विधेयक 2019
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS)
- 'सुनामी रेडी' कार्यक्रम
- संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जैव विविधता.....263-266

- अरिट्टापट्टी जैवविविधता विरासत स्थल
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022
- रेड इयर्ड स्लाइडर कछुआ
- जैव विविधता पर कुनमिंग घोषणा
- जैव विविधता के संदर्भ में भारतीय कार्य योजना
- प्रोजेक्ट टाइगर
- जैव विविधता के लिए वित्तपोषण पहल
- पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति
- गाडगिल समिति
- वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड
- 'जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021'
- वन अधिकार अधिनियम, 2006
- जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- वन्य प्राणी अधिनियम-1972
- वैश्विक जैव-विविधता ढांचे पर CBD मसौदा
- विश्व वन्यजीव कोष
- नागोया प्रोटोकॉल
- एमसी मेहता बनाम कमलनाथ

अपशिष्ट प्रबंधन.....267-270

- हरियाणा में स्थापित होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल
- अपशिष्ट प्रबंधन पर CPCB की रिपोर्ट
- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पांच सूत्रीय कार्य-योजना
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016
- कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम
- ई-कचरा प्रबंधन नियम

आर्द्रभूमि संरक्षण 270-272

- भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75
- जलीय पारितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना
- भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र

- भारत में वेटलैंड्स का नियमन
- MoEFCC की कार्य योजना
- जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)
- राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम
- आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र
- मिशन सहभागिता
- मोंट्रेक्स रिकॉर्ड
- नवीन आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अधिनियम 2017
- आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
- आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010
- रामसर अभिसमय

वन्यजीव संरक्षण.....273-275

- गंगा नदी डॉल्फिन
- हिम तेंदुआ द्वारा पारिस्थितिक संतुलन
- बीमा तकनीक
- प्रोजेक्ट चीता
- इण्डियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ
- राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL)
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)
- वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2022
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972
- नवीन रहेजा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2001
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2012

जैव अर्थव्यवस्था.....275-276

- भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, 2022
- भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र
- नेशनल बायोफार्मा मिशन
- जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद

ऊर्जा सुरक्षा.....276-277

- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल
- भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना
- हरित हाइड्रोजन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना
- संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा ने वर्ष 2025 के लिए कार्य योजना
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
- राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

कला एवं संस्कृति 278-300

सामयिक मुद्दे.....279-281

- भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या
- काशी-तमिल संगमम
- भू-विरासत स्थल: महत्व तथा संरक्षण के प्रयास
- बौद्ध सर्किट
- सित्तनवासल गुफाएं
- शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा की अनिवार्यता

भारतीय विरासत.....282-286

- काशी तमिल संगमम
- काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि
- महाकाल लोक कॉरिडोर
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को अंतर सरकारी समिति
- यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज
- तमिल नव वर्ष : पुथांडु
- यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट-2021
- कला संस्कृति विकास योजना, 2023
- प्रसाद योजना
- स्वदेश दर्शन योजना
- आदर्श स्मारक योजना
- एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम
- सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय अभिलेखागार
- केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड (CABA)
- यूनेस्को
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (A. S.I.)
- भारतीय विरासत संस्थान
- प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम
- उपासना स्थल अधिनियम, 1991
- स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH)
- कान इलांगो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला

त्योहार व उत्सव.....287-288

- वांगला महोत्सव
- असम का काटी बिहू पर्व
- नुआ खाई उत्सव
- खारची पूजा
- बोनालु त्योहार
- कडालेकाई परिशे उत्सव
- मेदारम जात्रा
- जलीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

चित्रकला.....290-293

- पट्टचित्र पेंटिंग
- रोगन पेंटिंग
- दक्षिण भारत की लघु चित्रकला
- पेंटिंग का क्षेत्रीय स्कूल
- लोक चित्रकला

नृत्यकला.....294-295

- संगीत नाटक अकादमी
- भारतीय शास्त्रीय नृत्य

मूर्तिकला 296-296

- भगवान नटराज
- स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी

स्थापत्य कला 298-300

- महाकालेश्वर मंदिर
- कुतुब शाही स्थापत्य कला
- स्थापत्य कला के प्राचीन स्कूल
- राजपूतकालीन स्थापत्य कला

सामाजिक विकास

सामाजिक सुरक्षा को कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना एवं विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, कार्य संबंधी चोट आदि स्थितियों में आय की सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

- सामयिक मुद्दे
- महिला विकास व संरक्षण
- बाल विकास व संरक्षण
- ट्रांसजेंडर
- वरिष्ठ नागरिक
- दिव्यांगजन
- अनुसूचित जाति व जनजाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- गरीबी
- शिक्षा
- बेरोजगारी
- स्वास्थ्य
- पोषण व खाद्य सुरक्षा
- संचारी एवं गैर संचारी

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 के अनुसार भारत में केवल 24.4 प्रतिशत लोगों को ही किसी न किसी सामाजिक योजना के तहत कवर किया गया है, जो बांग्लादेश के औसत (28.4 प्रतिशत) से भी कम है।

भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रति व्यक्ति GDP के 5 प्रतिशत से भी कम है। नागरिकों के सामाजिक कल्याण जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही मानव विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों और ''सबका साथ, सबका विकास'' पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख हो गया है।

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 ने स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के उत्साहजनक परिणाम दिखाए। कुल जन्म दर (टीएफआर) वर्ष 2015-16 में 2-2 से घटकर वर्ष 2019-21 में 2 हो गई। स्वास्थ्य अवसंरचना तथा जनता तक पहुंचने वाली सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय में स्वास्थ्य पर खर्च का हिस्सा 21 प्रतिशत से बढाकर वित्त वर्ष 23 (बीई) में 26 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में 2025 तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय को मौजूदा 1.2 प्रतिशत से बढाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन (PwD) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) शामिल हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा एक मूल अधिकार नहीं है, किन्तु एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के नीति निदेशक तत्वों, जैसे अनुच्छेद 41, 42 और 47 का पालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है।

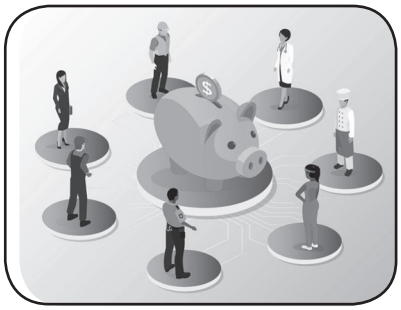

सामयिक मुद्दे

सामाजिक विकास के अन्तर्गत उन समाजों का भी अध्ययन किया जाता है जो परम्परागत स्तर से औद्योगिक विकास के स्तर की ओर उन्मुख है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ देश के किसी भी भाग में बसे समस्त नागरिक को आय के स्तर, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति या धार्मिक भेदभाव के बीना स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करने से है।

इसका उद्देश्य वहनीय, उत्तरदायी गुणवत्ता एवं यथोचित स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन को सुनिश्चित करना है। इसके तहत स्वास्थ्य संवर्द्धन से लेकर रोकथाम, उपचार पुनर्वास और उपशामक देखभाल तक सभी स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

सतत् विकास के लिये एजेंडा-2030 के तहत सभी देशों ने वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

महत्व

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज न केवल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मूलभूत शर्त है, बल्कि यह अन्य लक्ष्यों जैसे-गरीबी उन्मूलन (SDG-1), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4), लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण (SDG-5), उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि (SDG-8), बुनियादी ढाँचा (SDG-9), असमानता कम करना (SDG-10), न्याय और शांति (SDG-16) आदि की प्राप्ति के लिये भी आवश्यक है।

लाभ

- यह संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रति सुभेद्यता को कम करता है।
- यह सामुदायिक लचीलापन बढ़ाता है।
- स्वास्थ्य पर गरीबों के धन खर्च को कम कर उनकी बचत को बढ़ाता है।
- जनसांख्यिकी लाभांश को लाभ प्राप्त होता है।
- गरीब, महिला और कमजोर वर्गों को स्वस्थ जीवन का आधार प्रदान करता है।

चुनौती

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल जीडीपी का लगभग 2.5% का व्यय
- बुनयादी स्वास्थ्य ढाँचे की कमी।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी।
- निजी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों द्वारा लगभग 70% सेवा प्रदाता।
- स्वास्थ्य बीमा का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम पहुँच।
- स्तनपान, स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य जागरुकता की कमी।

महिला श्रम बल भागीदारी

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर पहले से ही अत्यंत निम्न है। कोविड-19 जनित लॉकडाउन के कारण इसमें और भी गिरावट आई है। उत्पादक आयु वर्ग (15-59 वर्ष) के लिए महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 2011-12 से 2021-22 के बीच 13.9 प्रतिशत घट गई और 33.1 प्रतिशत से घटकर 19.2 प्रतिशत हो गई।

प्रवृत्ति

- महिला श्रम बल की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।
- कोविड अवधि के दौरान, पुरुषों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यबल में भी गिरावट आई है।
- भारत में लगभग 70 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं ने अपनी नौकरी छोड़ दी है या छोड़ने पर विचार किया।
- ग्रामीण-शहरी अंतराल की तुलना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के कुल रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा 96 प्रतिशत है। इसमें से 98 प्रतिशत पुरुष अनौपचारिक रोजगार की तुलना में महिला अनौपचारिक रोजगार 95 प्रतिशत था।
- शहरी भारत की कुल महिला श्रमिकों में से 82 प्रतिशत और कुल पुरुष श्रमिकों में से 78 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार में संलग्न थे।
- यह खराब प्रदर्शन काफी हद तक कार्यबल में भारतीय महिलाओं की बहुत कम भागीदारी के कारण है।

कम श्रम बल भागीदारी का प्रमुख कारण: कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव और सुरक्षा का अभाव है।

- अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्र में महिला सुरक्षा का अत्यंत अभाव है। आँकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न होने की संभावना अधिक है।

सुझाव

- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनयम, 2013', 'दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013' और 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005' जैसे कानूनों को पूर्ण प्रतिबद्धता से लागू करने की आवश्यकता है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को लिंग आधारित हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाना।
- कानूनों के बारे में उन्हें सरल भाषा में जानकारी देना।
- स्थानीय शिकायत समितियों को अधिक कार्यात्मक बनाना।
- कार्यस्थलों पर ऐसे मामलों से निपटने के लिये स्थानीय श्रम ठेकेदारों को संवेदनशील बनाना।

महिला विकास

नवीनतम व महत्वपूर्ण तथ्य

- ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में वर्ष 2018-19 में 19.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2020-21 में 27.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- बजट 2023-24 के प्रावधानों के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरणस्वरूप, मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एककालिक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जो महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1020 हो गई है, जबकि 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 937 हो गया है। इसके साथ ही मातृ मृत्यु दर वर्ष 2011-13 के 167 से घटकर वर्ष 2017-19 में 103 रह गई है।
- देश के विकास में जेंडर समानता के मुद्दे को मुख्य स्थान दिया गया है। यह धारणा तय सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है, जिसे आधिकारिक तौर पर 'हमारी बदलती दुनिया: 2030 सतत विकास का एजेन्डा' के रूप में जाना जाता है।
- जेंडर समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नवंबर 2021 में महिलाओं को सामाजिक और संवैधानिक समानता प्रदान करते हुए हिंदू मैरिज ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 5 (III), स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 और बाल विवाह निषेध ऐक्ट, 2006 में बदलाव करने का प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिष्ठापित है।

नवीनतम घटनाक्रम

महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान (समर्थ)

समर्थ कार्यक्रम की शुभारम्भ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री द्वारा किया गया।

उद्देश्य: महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना।

लाभ: निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- महिलाओं के लिए नि:शुल्क कौशल विकास कार्यक्रम में 20 प्रतिशत सीटें आवंटित की जाएंगी।
- उद्यम पंजीकरण के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी।
- विपणन सहायता के लिए योजनाओं के तहत प्रदर्शनियों में शामिल होने हेतु भेजे गए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का 20 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाला सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को समर्पित है।

'WEST' (इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिलाएओं) पहल

हल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने 'इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं' {(Women in Engineering, Science and Technology (West)} नामक पहल की शुरुआत की गई।

- इस पहल की शुरुआत STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए की गई है।
- WEST एक नई I-STEM (भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं) पहल है।

  इसका उद्देश्य: शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़ना है।
- I-STEM अनुसंधान उपकरण/सुविधाओं को साझा करने हेतु एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इसके साथ ही यह शिक्षा और उद्योग जगत में अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह कौशल विकास कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही यह अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं और R&D सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी प्रदान करेगा।
- WEST पहल के तहत I-STEM द्वारा महिला उद्यमियों के विज्ञान और प्रद्योगिकी से सम्बंधित स्टार्ट-अप्स को प्रदान की जा रही वर्तमान सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **STEM में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:**
  - विश्व आर्थिक मंच के अनुसार STEM क्षेत्र में छात्राओं और महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
  - स्कूलों में, अधिकांश छात्राएं गणित और इंजीनियरिंग जैसे विषयों के बजाए कला विषय का चयन करती है।
  - विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तृतीयक शिक्षा में 35 प्रतिशत लड़कों की तुलना में केवल 18 प्रतिशत लड़कियां STEM क्षेत्र में अध्ययन कर रही हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य-5 लैंगिक समानता से सम्बंधित है। आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु महिलाएं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ सक्षम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं।

महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक

29 मार्च, 2022 को 'दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण' (Delhi State Legal Services Authority - DSLSA) ने राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक आरंभ किया है।

उद्देश्य: महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करना है।

संचालन: राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय द्वारा।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वर्ष 2022 के लिये अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल (Global Gender Gap-GGG) सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा है। इस सूचकांक को वर्ष 2006 में शुरू किया गया था।

उद्देश्य: लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी नीतियों की पहचान करने में सहायता करना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वह ढ़ांचा जिसमें किसी देश के आर्थिक कार्यकलापों का वर्णन किया जा सके, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये आर्थिक कार्यकलाप लोगों के उन कार्यकलापों से जुड़े होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा।

- सामयिक मुद्दे
- कृषि विकास
- उर्वरक
- पशुपालन एवं डेयरी
- मत्स्य पालन
- खाद्य प्रबंधन
- बैंकिंग
- मुद्रा व्यवस्था
- ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था
- प्रतिभूति बाजार
- बीमा क्षेत्र
- मुद्रास्फीति
- वित्त व्यवस्था
- कर व्यवस्था
- वित्तीय समावेशन
- पर्यटन
- विदेशी व्यापार
- परिवहन
- दूरसंचार
- निवेश व अवसंरचना
- उद्योग

भारतीय अर्थव्यवस्था, महामारी से सामना करने के बाद आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कई देशों से आगे पूर्ण पुनर्प्राप्ति कर ली है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का विकास दर 7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ, प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है, जिसे हासिल करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में तीन चीजों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, (I) नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना, (II) विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना तथा (III) वृहद् आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना।

अमृत काल के दौरान चार स्तम्भ रुपांतरकारी हो सकते हैं, जिमाने (I) महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, (II) पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास), (III) पर्यटन तथा (IV) हरित विकास शामिल है।

बजट 2023-24 में सात प्राथमिकताएँ, जिनमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को अपनाई गई हैं, जो एक-दुसरे का सम्पूरण करती हैं और अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती हैं।

आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 6.8 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है, जो लक्षित सीमा के बाहर है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 9.8 प्रतिशत से घटकर एक वर्ष बाद (सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में) 7.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी सुधार हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के महामारी से प्रेरित मंदी से उभरने की पुष्टि करता है।

सामयिक मुद्दे

आर्थिक विकास अथवा वृद्धि से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का उपयोग, प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिए करते हैं।

भारत में रेल भाड़ा संबंधी चुनौतियां

भारतीय रेलवे (IR) दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसके द्वारा 1.2 बिलियन टन माल की वार्षिक ढुलाई की जाती है। फिर भी, भारत का 71 प्रतिशत माल सड़क मार्ग से और केवल 17 प्रतिशत रेल द्वारा पहुंचाया जाता है।

भारतीय रेल माल की प्रमुख चुनौतियां

- माल ढुलाई में रेलवे का वर्तमान मॉडल हिस्सा सिर्फ 17 प्रतिशत है।
- हवा, पानी और सड़क समेत कुल माल ढुलाई के हिस्से के रूप में भारत का रेल भाड़ा परिमाण चीन के 47 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 48 प्रतिशत की तुलना में केवल 17 प्रतिशत है।
- स्वर्णिम चतुर्भुज, जो भारत के रेल मार्ग की लंबाई का केवल 16 प्रतिशत हैं, देश के लगभग 52 प्रतिशत यात्रियों और 58 प्रतिशत माल का परिवहन करते हैं।
- भारतीय रेलवे ने समग्र माल ढुलाई में रेल मार्ग के योगदान को बेहतर बनाने के लिए – वायु, जल और सड़क सहित – भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) 2030 तैयार की है।
- एनआरपी का उद्देश्य परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है, ताकि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय रेल योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं-

- माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा बढ़ाकर 45% करने के लिए परिचालन क्षमता और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना।
- मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाकर माल ढुलाई के पारगमन समय को कम करना।
- राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 लॉन्च किया गया है, जैसे 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी-ट्रैकिंग, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई पर 160 किमी प्रति घंटे की गति का उन्नयन अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्ण विकर्ण (जीक्यू/जीडी) मार्गों पर 130 किमी प्रति घंटे की गति का उन्नयन और सभी जीक्यू/जीडी मार्गों पर सभी समपारों को समाप्त करना शामिल है।
- नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना।
- 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) और फ्रेट मोडल शेयर बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव आवश्यकता का आकलन।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उसकी चुनौतियां

- खाद्य प्रसंस्करण कृषि उत्पादों का भोजन में या भोजन के एक रूप का दूसरे रूपों में रूपांतरण है। जिस उद्योग में कच्चे खाद्य पदार्थों को उपभोग, पकाने या भंडारण के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। उद्योग और कृषि के बीच मजबूत संबंधों और अंत:क्रियाओं को बढ़ावा देने के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत के विकास में अत्यधिक महत्व है।
- वित्तीय वर्ष 21 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 8.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

चुनौतियां

- अपर्याप्त प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण सुविधाओं में आपूर्ति शृंखला अवसंरचना में अंतराल का मौजूद होना।
- उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संबंध।
- इस उद्योग का मौसमी संचालन तथा कम क्षमता उपयोग।
- आपूर्ति शृंखला में संस्थागत अंतराल जैसे एपीएमसी बाजारों पर निर्भरता का होना।
- गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर ध्यान न देना।
- पर्याप्त उत्पाद विकास और नवप्रवर्तन नहीं होना।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य उत्पादों को रासायनिक अभिकर्मकों और परिरक्षकों के साथ संसाधित करके उनके शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए एक अनूठी प्रक्रिया अपनाते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रासायनिक अभिकर्मकों और परिरक्षकों के साथ खाद्य उत्पादों को संसाधित कर उसके जीवन अवधि को बढ़ाते हैं।
- भारत कृषि की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र है और इसकी 50% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इस प्रकार, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल की अधिशेष मात्रा है।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में सर्वोत्कृष्ट भूमिका है।
- सतत विकास में खाद्य प्रसंस्करण अगला कदम है, क्योंकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सड़ने की संभावना कम होती है, जिससे भोजन की बर्बादी कम होती है।
- दीर्घ जीवन चक्र के कारण, संसाधित भोजन को दुनिया के विभिन्न भागों में निर्यात किया जा सकता है।
- बढ़ती आबादी के साथ खाद्य पदार्थों की मांग में काफी वृद्धि हो रही है और इस प्रकार मांग को पूरा करने के लिए अधिक एफपीआई की आवश्यकता है।

भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन का स्वरूप क्या है, शासन का ध्येय क्या है, नीति निर्माण किस प्रकार होता है तथा कौन से तत्व हैं, जो नीतियों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। राज्य व्यवस्था न तो पदों का विन्यास होता है और न ही कोरा संवैधानिक कानून।

- सामयिक मुद्दे
- नागरिकता
- निवारक निरोध
- आरक्षण
- धार्मिक अधिकार
- जीवन का अधिकार
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- निदेशक सिद्धांत और कर्तव्य
- सहकारी संघवाद
- केंद्र-राज्य संबंध
- संसदीय व्यवस्था
- स्थानीय स्वशासन
- न्यायपालिका
- चुनाव सुधार
- सुशासन

व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। - कार्ल जे. फ्रेड्रिक

राजनीतिक व्यवस्था सामान्यत व्यवस्थाओं की सीमाओं के पार, पर्यावरण से तथा परस्पर अंतक्रिया करने वाली उन संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा समस्यों का समुच्चिकरण है, जिसे राजनीतिक अंतक्रिया की इकाई या व्यवस्था कहा जा सकता है।

भारतीय राजव्यवस्था में संविधानवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो एक आधुनिक युगीन संकल्पना है, जो विधि और विनियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करती है। यह व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का समर्थक है। इसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित (शक्तियों वाली) सरकार के सिद्धान्तों का समावेश होता है। इसका तादात्म्य 'विभक्त शक्तियों' की व्यवस्था के साथ किया जाता है।

राजनीतिक व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है, जो किसी देश के शासन से संव्यवहार करती है और लोगों से इसका संबंध प्रकट करती है।

भारत, राज्यों का संघ, एक संप्रभुसत्तासंपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें शासन की संसदीय व्यवस्था है। भारतीय राजव्यवस्था संविधान के संदर्भ में शासित होती है।

संविधानवाद का अर्थ है, ऐसा सिद्धान्त और व्यवहार, जिसके अन्तर्गत किसी समुदाय का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है। प्रस्तुत संदर्भ में संविधान का अर्थ है, उन नियमों और प्रक्रियाओं का समुच्चय, जो शासन की संरचना और कार्यों का स्वरूप निर्धारित करती है, शासन के अंगों का विवरण देती है, उनकी शक्तियों और परस्पर संबंधों का निरूपण करती है एवं यह भी निर्दिष्ट करती है कि इन्हें किन-किन सीमाओं और मर्यादाओं के भीतर कार्य करना होगा, ताकि शासन या उनका कोई अंग, किसी तरह की मनमानी न कर पाए।

सामयिक मुद्दे

शासन निर्णय लेने और निर्णय लागू किये जाने की प्रक्रिया है। शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है जैसे कि कॉर्पोरेट शासन, अंतरराष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन।

एक राष्ट्र एक विधान

भारत में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान की संकल्पना को सामने रखा था। उनका मानना था कि सत्ता का मूल उद्देश्य राज करना नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के लिए समर्पित भाव से कार्य करना है।

उन्होंने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के संकल्प के लिए अपना बलिदान देकर कश्मीर से परमिट राज खत्म कर उसे भारत का अभिन्न अंग बनाया।

एक राष्ट्र एक विधान हेतु किये गए प्रयास

एक देश एक चुनाव: एक साथ चुनाव करवाने का समर्थन करते हुए नीति आयोग की मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दोनों चुनाव एक साथ होने से शासन व्यवस्था में रुकावटें कम होंगी। देश में पहले भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो चुके हैं। जैसा की पहली चार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे।

एक देश एक कर प्रणाली: जीएसटी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और टैक्स की चोरी भी रुकेगी।

एक देश एक राशन कार्ड: एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना के माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रवासियों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए राशन कार्डों की राज्य के भीतर तथा अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है।

एक देश एक उर्वरक: इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमश: भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके का प्रयोग सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार इकाइयों (एसटीई) और उर्वरक विपणन इकाइयों (एफएमई) द्वारा किया जाएगा। भारतीय जन उर्वरक परियोजना के एक भाग के रूप में 'एक राष्ट्र-एक उर्वरक' योजना की शुरुआत की गयी।

एक राष्ट्र एक वाहन नंबर: केंद्र सरकार अब देशभर के वाहनों का रजिस्ट्रेशन आइएन (इंडिया) के नाम से जारी करने वाहन मालिक को अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए एनओसी (नान ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आगे की राह

- एक राष्ट्र एक विधान से देश भर में कानूनों में एकरूपता आयेगी। केंद्र राज्य सम्बन्धों में सहयोग बढ़ेगा तथा सहकारी संघवाद की भावना मजबूत होगी, नागरिकों को कानूनों की जटिलता से मुक्ति मिलेगी।

प्रभावी लोकतंत्र और निर्वाचन सुधार

लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में स्वतंत्र और संप्रभु निर्वाचन प्रणाली का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सरकार को वैधता प्रदान करती है। चुनाव एक लोकतांत्रिक गणराज्य के गठन की प्रक्रिया का वह आवश्यक तत्व है, जिसके बिना लोकतंत्र महत्वहीन हो जाएगा, अर्थात् चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र के प्राण तत्व की भांति है।

- **लोकतंत्र में निर्वाचन का महत्व निम्न कारणों से है-**
  - इससे सत्ता परिवर्तन अहिंसक तरीके से होता है।
  - उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार का निर्माण करती है।
  - यह राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाती है।
  - यह सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण को सुगम बनाती है।
  - यह राजनीतिक दलों को स्वयं आत्म-निरीक्षण करने का अवसर देती है।
  - यह मानव को समाज के लिए कार्य करने का अवसर देता है।
  - यह व्यक्ति को स्थानीय दायरे से ऊपर उठाकर राष्ट्रीयता के दायरे तक ले जाते हैं।
  - इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।
  - ये सरकार में स्थायित्व लाता है।
  - ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है।
  - यह राष्टवाद और देशभक्ति का प्रतीक है।
  - लोक कल्याणकारी कार्य को प्रोत्साहन देता है।

निर्वाचन व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां: राजनीति का अपराधीकरण, निर्वाचन व्यय की समस्या, हिंसा व जाली मतदान, निर्वाचन नामावलियों से सम्बन्धित त्रुटियाँ, मत व परिणाम के मध्य असंतुलन, राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या, विधिहीन आचार संहिता, सरकारी मीडिया का दुरुपयोग, मतदाता पहचान पत्र का दोहराव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सम्बन्धित त्रुटियां, निर्वाचकों की अनुपस्थिति राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, जाति-धर्म का राजनीति से सम्बन्ध, सांप्रदायिकता के साथ-साथ सोशल मीडिया दुरुपयोग, भ्रामक खबरें तथा चुनावों में लोगों की कम भागीदारी आदि प्रमुख चुनौती के रूप में खड़ी है।

सुधार हेतु उठाए गए कदम

- चुनावी बांड के द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है।
- चुनाव लड़ने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए स्वयं के और अपने परिवार के सदस्यों के आय के स्रोतों का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है।
- चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने आपराधिक रिकॉर्ड सहित सभी व्यतिगत जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय व द्विपक्षीय सम्बन्ध

एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है।

- सामयिक मुद्दे
- भारत का द्विपक्षीय सम्बन्ध
- भारत और क्षेत्रीय संबंध
- भारतीय विदेश नीति
- भारत और प्रमुख क्षेत्रीय संगठन
- भारत की परमाणु नीति

मॉडेल्स्की के अनुसार-कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और गतिविधियों को अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो उपाय करता है, विदेश नीति कहलाती है। प्रत्येक संप्रभु देश की एक विदेश नीति होती है। भारत की भी अपनी एक विदेश नीति है। विदेश नीति के अंतर्गत कुछ सिद्धांत, हित और वे सभी उद्देश्य आते हैं, जिन्हें किसी दूसरे राष्ट्र से संपर्क के समय बढ़ावा दिया जाता है।

विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रीय हित रूपी साध्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति के आपसी सम्बन्धों को जानने कि लिए राष्ट्रीय हित द्वारा विदेश नीति को प्रभावित करने वाली भूमिका का अध्ययन करना जरूरी है। राष्ट्र-हित की प्रभावकारी भूमिका को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

1) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को अन्तरराष्ट्रीय परिवेश में प्रतिस्थापित करता है।
2) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को नियन्त्रित करने वाले मापदण्डों का विकल्प प्रदान करता है।
3) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को निरन्तरता प्रदान करता है और उसे गतिशील बनाता है।
4) विदेश नीति स्वयं को राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में समायोजित करती है, अर्थात स्वयं को बदली अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढालती है।
5) राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि ये समाज के समन्वित एवं सर्वसम्मति पर आधारित मूल्यों की अभिव्यक्ति होते हैं।
6) राष्ट्रीय हित विदेश नीति का दिशा-निर्देशन करते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार होता है, उसी तरह विदेश नीति राष्ट्रीय हित का निर्देशन करती है।

सामयिक मुद्दे

अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप से है, जिसमें राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है तथा विश्व शांति और विकास में इसने महती भूमिका का निर्वाह किया है, परन्तु बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य जिसमें वैश्विक व्यवस्था में अमेरिकी एकध्रुवीयता से लेकर बहुपक्षीय संस्थानों और बहुध्रुवीयता के उदय तक बड़े पैमाने हुए बदलाव ने इसकी कार्यप्रणाली और भूमिका में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है ।

सुधार की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में व्याप्त दोष को रेखांकित किया तथा कहा कि P5 देशों के विशेषाधिकारों से परे जाना और एक अधिक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक सुरक्षा परिषद की तलाश करना आवश्यक है।

UNSC से संबंधित मुद्दे

- पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, क्योंकि 54 देशों के महाद्वीप अफ्रीका की अनुपस्थिति इसमें सर्वाधिक प्रासंगिक है।
- भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण देशों को UNSC स्थायी सदस्यों की सूची में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होना।
- वीटो पावर का दुरुपयोग।
- P5 देशों में से किसी की भी असंतुष्टि की स्थिति में परिषद आवश्यक निर्णय ले सकने की अक्षमता।
- P5 देशों के मध्य भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता।
- राज्य की संप्रभुता के लिये खतरा, अर्थात किसी भी राज्य की संप्रभुता को, यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई के माध्यम से अतिक्रमित किया जा सकता है।

भारत का पक्ष

- भारत सुरक्षा परिषद् के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी चाहता है।
- भारत परिषद का विस्तार चाहता है, क्योंकि इससे सुरक्षा परिषद् ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा।
- भारत सुरक्षा परिषद् के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी चाहता है।

आगे की राह

- वर्तमान में सुरक्षा परिषद वैश्विक समस्याओं पर एक तरह से निरर्थक चर्चा का मंच बनकर रह गई है।
- यह यूक्रेन युद्ध, दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी के मामले विश्व जनमत के समक्ष सामने आ चुका है। कुछ वैश्विक ताकतों की मनमानी ने सुरक्षा परिषद को एक तरह से असहाय और निरुपाय बना दिया है।
- इसलिए इस परिषद् में सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। "महासभा एकमात्र ऐसा यूएन निकाय है, जिसके पास सुरक्षा परिषद में सुधार के सवाल के समाधान की तलाश करने का शासनादेश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देश हैं और इसे सम्पूर्ण यूएन प्रणाली का सर्वाधिक प्रतिनिधि अंग माना जाता है।

G20 और भारत के लिए अवसर

द ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।

G20 प्रेसीडेंसी का महत्व

- G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में, जी-20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
- भारत एक ओर विकसित देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, वहीं विकासशील देशों के विचारों को अच्छी तरह समझता और अभिव्यक्त करता है। इसी आधार पर देश दशकों से विकास के पथ पर भारत के सहयात्री रहे 'ग्लोबल साउथ' के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर जी-20 प्रेसीडेंसी का खाका तैयार करेगा।
- भारत ऊर्जा, कृषि, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण से लेकर रोजगार, पर्यटन, भ्रष्टाचार विरोधी और महिला सशक्तिकरण तक विविध सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की पहचान, हाइलाइट, विकास और मजबूत करेगा। फोकस क्षेत्रों में शामिल है, जो सबसे कमजोर और वंचितों को प्रभावित करते हैं।

G20 में भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र

आतंक: आतंकवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए एक दृढ़ और समन्वित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई जरूरी है।

आर्थिक अपराधी: भारत और अन्य G20 सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता के रूप में भारत ने आर्थिक अपराधियों से निपटने को प्राथमिकता दी है।

भारत के पड़ोसी देश

भारत ने हमेशा से पड़ोस की विचारधारा को ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है, जिसके क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समानताओं की मध्य धुरी के इर्द-गिर्द निरन्तर विकास हो।

- सामयिक मुद्दे
- भारत-पाकिस्तान
- भारत-अफ़्गानिस्तान
- भारत-चीन
- भारत-नेपाल
- भारत-भूटान
- भारत-बांग्लादेश
- भारत-म्यांमार
- भारत-श्रीलंका

भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इन्सान कैसे अलग कर पाए! -जॉन एफ़ कैनेडी

एक सुरक्षित, स्थायी, शांतिपूर्ण तथा समृद्धशाली पड़ोस भारतीय सुरक्षा संरचना का केंद्र-बिंदु है। भारत, आपसी सूझबूझ एवं क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दृष्टि से अपने पड़ोसियों के साथ सक्रिय तथा सहयोगात्मक कार्यों को आगे बढ़ाता रहा है।

गतिशील क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिवेश भारत के लिए विस्तृत चुनौतियां पेश करता है, जिनका तेजी से और कारगर ढंग से मुकाबला किया जाना चाहिए; ताकि देश का विकास एवं उत्थान तथा यहां के लोगों का विकास बनाए रखा जा सके और उसमें मदद दी जा सके। यह देश और हमारी रक्षा सेनाएं सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं।

भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति का अनुसरण करता है। हालांकि यह नीति बहुत कठिन रही है। गत दशक में अनेक बाधाएं आईं, जिन्होंने द्विपक्षीय सम्बन्धों को खराब किया। भारत का हमेशा से यह नीति रही है कि अपने पड़ोसियों के साथ उत्तम व्यवहार करे, भारत आजादी के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता रहा है तथा अपने पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाता रहा है।

भारत के पड़ोसी देश हैं- श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों से निकटतम संबंध बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया है।

भारत ने हमेशा से पड़ोस की विचारधारा को ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है, जिसके क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समानताओं की मध्य धुरी के इर्द-गिर्द निरन्तर विकास हो।

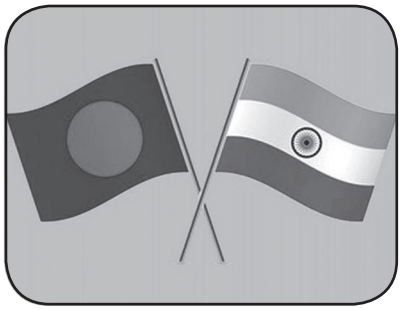

सामयिक मुद्दे

राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिये न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी सकारात्मक एवं सौहार्द्रपूर्ण संबंध सहायक सिद्ध होते हैं।

भारत-नेपाल संबंध

नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्त्व रखता है।

भारत-नेपाल संबंध का आधार

- दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं।
- 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों को आधार प्रदान करती है। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है।
- नेपाल एक भू-आबद्ध देश होने के कारण तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अतः यह नेपाल को अन्य दुनिया से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है।
- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता देना।
- भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंटों का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती करके किया जाता है।
- भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं।

भारत-नेपाल के बीच वर्तमान मुद्दे

- भारत के अग्निपथ योजना पर गोरखाओं की भर्ती प्रक्रिया पर नेपाल की आपत्ति।
- नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा एवं लिपुलेख पर और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा जताया।
- 1950 में शांति और मित्रता की संधि नेपाल द्वारा असमान संबंध और भारतीय प्रभाव थोपने के रूप में देखना।
- नेपाल राष्ट्र बैंक (नेपाल का केंद्रीय बैंक) के पास 7 करोड़ भारतीय पुराने रुपए हैं और भारत का इसे बदलने से इंकार।
- नेपाल राष्ट्र बैंक के पास विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत का इनकार।
- नेपाल की नदियों का सही से प्रबंधन न होने के कारण बिहार में बाढ़।

चीन की भूमिका

- नेपाल, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक महत्वपूर्ण भागीदार।
- चीन द्वारा नेपाल को चार बंदरगाहों और तीन भूमि बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान।
- चीन द्वारा पोखरा और लुंबिनी हवाई अड्डा का विस्तार।
- चीन, नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत से आगे।

भारत-श्रीलंका संबंध के लिए चुनौतियां

भू-रणनीतिक दृष्टिकोण से, हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमुख वाणिज्य समुद्री मार्ग इस देश से होकर गुजरते हैं। परिवहन के संदर्भ में, दुनिया का लगभग दो-तिहाई तेल और दुनिया का आधा कंटेनर शिपमेंट श्रीलंका के दक्षिणी तट से होकर गुजरता है, जो हिंद महासागर की संचार लाइनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत-श्रीलंका संबंधों में मुद्दे

चीन का दखलः श्रीलंका में चीन के आर्थिक पदचिह्न का तेजी से विस्तार भारत-श्रीलंका संबंधों पर दबाव डाल रहा है। 99 साल की लीज पर, श्रीलंका ने हंबनटोटा के महत्वपूर्ण बंदरगाह को चीन को सौंप दिया, जिसके चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। बंदरगाह को चीन की मोतियों की माला रणनीति के एक भाग के रूप में देखा जाता है। श्रीलंका ने एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और कोलंबो के बंदरगाह शहर के आसपास एक नया आर्थिक आयोग बनाने के लिए चुना है, दोनों को चीन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

कच्चाथीवू द्वीप मुद्दाः यह एक निर्जन द्वीप है, जिसे भारत ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। एक कैथोलिक धर्मस्थल की उपस्थिति के कारण, श्रीलंका ने बाद में कच्चातीवू को एक पवित्र क्षेत्र घोषित किया। समझौते के अनुसार, केंद्र सरकार द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करती है। हालांकि, तमिलनाडु का दावा है कि कच्चाथीवू भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है।

श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधनः 1987 में श्रीलंका में संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए भारत-श्रीलंका समझौता हुआ था। यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने के लिए प्रांत परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की मांग करता है।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका को लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए।
- दोनों देश आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
- सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक, सार्क, सागर और आईओआरए जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था की वकालत करनी चाहिए। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों को श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति को बनाए रखते हुए संरक्षित किया जाना चाहिए।
- श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका को रोकने के लिए भारत को जाफना में कांकेसंतुरई बंदरगाह और त्रिंकोमाली में तेल टैंक फार्म परियोजना पर काम करना जारी रखना चाहिए।